कार्यालय नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र हाथरस।

पत्रांक / वि0प्रा0/हाथरस/2012 दिनांक 03-12-2012

श्री संजीव कुमार शर्मा, प्रदीप कुमार शर्मा S/O
श्री मिट्ठूलाल शर्मा, W/O श्री रामकिशन शर्मा
श्रीमती राजेश शर्मा
निवासी कलां, हाथरस

महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत विकास/विन्यास मानचित्र पत्रावली सं0 RB-233/2012-13 दिनांक 29-11-12 जो कि शजरा सं0 (59) ग्राम- बालापट्टी उर्फ या नगर हाथरस के सम्बन्ध में आपको निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार भूमि के विकास करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

1. प्रस्तावित भूमि के विकास हेतु दी अनुज्ञा स्वीकृति के दिनांक से पाँच वर्ष तक वैध मानी जायेगी। तथा समस्त विकास कार्य निर्धारित अवधि में ही पूर्ण करना होगा।

2. प्रस्तावित स्थल का समस्त वाह्य एवं अन्तः विकास यथा सड़को/गलियो का निर्माण खड़ंजा लगाना, नालियो/गटर/पानी का निकास एवं मल निकास की व्यवस्था तथा प्रकाश की व्यवस्था एवं पार्को एवं खेल के मैदान की व्यवस्था तथा सार्वजनिक उपयोगिता के विकास की व्यवस्था आदि सभी स्वंय के व्यय पर करनी होगी साथ ही समस्त विकास कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करने होगे।

3. समस्त विकास के दौरान मानचित्र सदैव स्थल पर रखा जाएगा तथा किसी भी समय निरीक्षण के समक्ष निरीक्षणकर्ता को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. विकास कार्य आरम्भ करने या समाप्त होने की सूचना नियमानुसार निर्धारित प्रपत्रो पर इस विभाग को दी जायेगी।

5. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार यदि विकास कार्य के दौरान कोई भी परिवर्तन किया जायेगा तो नियमानुसार परिवर्तन करने से पूर्व उसकी सूचना विभाग को दी जायेगी तथा पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कोई परिवर्तन किया जायेगा।

6. किसी भी प्रकार के भूस्वामित्व विवाद के लिये पूर्णतः आपका उत्तरदायित्व होगा।

7. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त यदि आवश्यक हुआ तो विकास कार्य के दौरान यदि अन्य कोई शर्त लागू की जायेगी तो वह अनापत्ति मान्य होगी।

8. बंधक किये गये भूखण्ड सं0 05, 17, 832 को समस्त आन्तरिक/वाह्य विकास पूर्ण कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा तथा अवमुक्त कराये बिना बंधक भूखण्ड को विक्रय नहीं किया जायेगा। प्रत्येक भूखण्ड पर भवन निर्माण की स्वीकृति भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन निर्माण जायेगा।

9. प्रस्तावित स्थल पर योजना के अनुसार नेक्शप किया जाये तदनुसार मानचित्र व्यावसायिक उपयोग में स्वीकृत किया जाता तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

03/12/12

नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, हाथरस